

123

श्री.

नगरानी/पकरण क्रमांक :— /2012

प्रस्तुती दिनांक : 2/ 7/20 18

श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वा लियर केम्प इन्दौर म.प्र.।

नगरानी-4862/2018/इंदौर/भ.र.

1. श्रीमती गजीबाई पति बेरीराम

2. बेरीराम पिता नंदाजी,

निवासी-ग्राम पंचोला तहसील सावैर,

जिला इंदौर म.प्र.।

— पार्थीगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर,  
श्री ...  
पार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-07-2018  
को प्रस्तुत।

वि रु द्ध

बद्रीलाल पिता मल्लाजी,

निवासी ग्राम पंचोला तहसील सावैर,

जिला इंदौर

699  
02-07-2018

अधीक्षक

आयुक्त कार्यालय

— पार्थी

नगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु राजस्व संहिता 1959

पार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-4-2018 जिसके द्वारा पार्थी गण की अपील निरस्त की गई से, असंतुष्ट स्वस दुखी होकर राजस्व पकरण क्रमांक 323/अपील/2012-13 के विरुद्ध सदर पुनरीक्षण निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत करते हैं :-----

मि. राजस्व  
दि 16-7-18 का पाल  
16-7



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

13

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

R-4862-1/18/18/200

तहसील

श्रीवाही  
हीवर

विरुद्ध

वडीमाल

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
|                  | <p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला ..... इंदौर</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक ..... 26/4/18</p> <p>के विरुद्ध श्री जगदंश आर्य कादव</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ .....<br/> रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> |  |

23-8-18

DD

आवेदक पक्ष व आवेदक दायीं सूचना उपरांत अनुपायित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगावाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष को कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरान्त आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपायित होने के कारण अदम पैरवी में श्वारिज किया जाता है।

[ पीछे देखिये ]

जि.स.म.